प्रथम अध्याय

1.1 प्रस्तावना

अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन नीतियों तथा प्रक्रियाओं से है जो अध्यापकों को उस ज्ञान, अभिरुचि, व्यवहार तथा कौशल से संवारती हैं जो उसे आने वाले समय में अपने कक्षाकक्ष, पाठशाला व व्यापक समुदाय के कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए आवश्यक है। इसके अन्तर्गत वह प्रक्रिया जिसमें किसी अध्यापक को सेवा में आने के बाद किसी विद्यालय में शुरुआती कुछ वर्षों या मात्र एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण या शिक्षण सहायता प्रदान की जाती हैं जैसे हाज़िरी रजिस्टर बनाना, शुल्क का लेखा जोखा, छात्र छात्राओं के परीक्षणों का ज्ञान आदि।

यहां पर एक वृतिशील अध्यापक के व्यवसायिक विकास को जारी रखा जाता है। कई बार यह समझा जाता है कि अब तो हम अध्यापक बन गए है तथा अब हमे पढ़ने की अथवा अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु यह धारणा गलत है। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए सेवापर्यंत एक अध्यापक को पढ़ना आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जोकि एक अध्यापक की निपुणता व क्षमता से सम्बन्धित है। यह कार्यक्रम एक अध्यापक को उसके व्यवसाय से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी चुनौतियों का सामना करने में सफल तथा सक्षम बनाता है। अध्यापक शिक्षा एक अध्यापक में अध्यापन कौशालों, शिक्षा विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों, तथा भाषा व समाज से सम्बन्धित व्यवसायिक कौशलों को प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।

अध्यापकों को शिक्षार्थी को अपने स्वयं स सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रुप में देखने में मदद करें न कि ज्ञान के मात्र प्राप्तकर्ता के रूप में । अध्यापक सुनिश्चित करें कि छात्र रटंत प्रणाली को छोड़ नए आयामों को ध्यान में रखते हुए सीखें। ज्ञान सृजन को सीखने की निरंतर प्रक्रियाके रुप में देखा जाना चहिए।

एम. बी. बुच - " सेवारत अध्यापक शिक्षा अथवा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है, इसमें अध्यापकके का स्वयं एवं शैक्षिक विकास किया जाता हैं।"

सेवापर्यंत शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कुछ तथ्य:-

स्वतंत्रता पूर्व सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे मे सर्वप्रथम लॉर्ड कर्ज़न ने १९०४ में एक शिक्षा नीति के तहत यह बात रखी थी। इसके साथ ही १९२९ हार्टोग समिति तथा सार्जेंट समिति ने भी शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एक प्रकार का गतिविधिपर आधारित पाठ्यक्रम) की बात रखी थी।

१.१.१ नीतियों के बारे में

भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय के हिसाब से निरूपित किया गया है और यह शिक्षा समितियों/आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आधारित है, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं : कोठारी आयोग (1966), चट्टोपाध्याय समिति (1985), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन पी ई 1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993) एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (एन सी एफ, 2005)। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आर टी ई) अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ, का देश में शिक्षक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

१.१.२ विधिक और सांस्थानिक ढांचा

देश की संघीय ढांचे में हालांकि शिक्षक शिक्षा पर विस्तृत नीतिगत और विधिक ढांचा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन प्रमुखत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्कूली बच्चों की शिक्षा उपलब्धियों के सुधारके विस्तृत उद्देश्य की दोहरी कार्यनीति है :

(क) स्कूल प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करना(सेवा पूर्व प्रशिक्षण);

(ख) मौजूदा स्कूल अध्यापकों की क्षमता में सुधार करना(सेवाकालीन प्रशिक्षण)।

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए देश में सरकारी स्वामित्व वाली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (टी टी आई) का बड़ा नेटवर्क है, जो स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन टी टी आई का फैलाव रैखिक एवं क्षैतिज दोनों है। राष्ट्रीय स्तर पर छह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं (आर ई ए) के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मॉड्यूलों का समूह तैयार करता है और

अध्यापकों तथा शिक्षक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरू करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा संस्थानिक सहायता भी दी जाती है। एन सी ई आर टी और एन यू ई पी ए दोनों राष्ट्रीय स्तर के स्वायत्तशासी निकाय हैं। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (एस सी ई आर टी), शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल तैयार करती हैं और शिक्षक शिक्षकों और स्कूल शिक्षकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन करती हैं। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सी टी ई) और उन्नत शिक्षा विद्या संस्थान (आई ए एस ई), माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अध्यापकों और शिक्षक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी आई ई टी) द्वारा प्रदान किया जाता है। स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रखंड संसाधन केन्द्र (बी आर सी) और समूह संसाधन केन्द्र (सी आर सी) रैखिक सोपान में सबसे निचले सोपान के संस्थान हैं। इनके अलावा सिविल सोसायटी, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और अन्य स्थापनाओं की सक्रिय भूमिका के साथ भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किए जातेहैं।

१.१.३ कार्यक्रमों और कार्यकलापों का वित्तपोषण

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के अंतर्गत दी जाती है, जो आर टी ई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य साधन है। एस एस ए के अंतर्गत स्कूल अध्यापकों को 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण, अप्रशिक्षित अध्यापकों को 60 दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और नव नियुक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों को 30 दिन का अभिमुखन प्रदान किया जाता है। शिक्षक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डी आई ई टी), शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों (सी टी ई) और उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों (आई ए एस ई) को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें भी सेवाकालीन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देती है। बहु-पक्षीय संगठनों सहित विभिन्न एन जी ओ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यकलापों सहित विभिन्न हस्तक्षेपों की सहायता करता है।

१.१.४ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षक शिक्षा का निहितार्थ

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली और शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम का निहितार्थ है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान हैं कि

- केन्द्र सरकार अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानकों काविकास और उनका प्रवर्तन करेगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियोजित किए जाने के पात्रहोंगे।
- ऐसी निर्धारित योग्यताएं नहीं रखने वाले मौजूदा अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि में उक्त योग्यता अर्जित करना अपेक्षित होगा।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूची में विहित छात्र-शिक्षक अनुपात प्रत्येक स्कूल में बनाए रखा जाए।
- सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्कूल में शिक्षक की रिक्ति संस्वीकृत क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

१.१.५ शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया है, जिसे मार्च 2009 में परिचालित किया गया था। यह ढांचा एन सी एफ, 2005 की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों ने शिक्षक शिक्षा पर परिवर्तित ढांचा अनिवार्य कर दिया है, जो एन सी एफ, 2005 में संस्तुत स्कूल पाठ्यचर्या के परिवर्तित दर्शन के अनुकूल हो। शिक्षक शिक्षा का दर्शन स्पष्ट करते हुएइस ढांचे में नए दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण आयामहैं :

परावर्ती प्रचलन, शिक्षक शिक्षा का केन्द्रीय लक्ष्य;

- छात्र-अध्यापकों को स्व-शिक्षा परावर्तन नए विचारों के आत्मसातकरण और अभिव्यक्ति का अवसर होगा।
- स्व-निर्देशित शिक्षा की क्षमता और सोचने की योग्यताका विकास और समूहों में कार्य महत्वपूर्ण।

- बच्चों के पर्यवेक्षण एवं शामिल करने, बच्चों से संवाद करने और उनसे जुड़ने का अवसर।

इस ढांचे ने फोकस, विशिष्ट उद्देश्यों, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षा के अनुकूल विस्तृत अध्ययन क्षेत्र और पाठ्यचर्या अंतरण और विभिन्न प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन कार्यनीति उजागर की हैं। मसौदा आधारभूत मुद्दों को भी रेखांकित करता है, जो इन पाठ्यक्रमों के सभी कार्यक्रमों का निरूपण निदेशित करेगा। इस ढांचे ने सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दृष्टिकोण और रीति विधान पर अनेक सिफारिशें भी की हैं और इसकी कार्यान्वयन कार्यनीति भी रेखांकित की गई है। एनसीएफटीई के स्वाभाविक परिणाम के रूप में एनसीटीई ने विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमोंका 'आदर्श' पाठ्यक्रम भी तैयार किया है।

१.१.६ विनियामक ढांचे में सुधार

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजन एवं समन्वित विकास की प्राप्ति, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मानकों एवं मानदंडों के विनियमन और उपयुक्त अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किया गया था। पिछले दिनों में एन सी टी ई ने अपने कार्यकरण में क्रमिक सुधार और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार केविभिन्न उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- विभिन्न राज्यों के अध्यापकों तथा शिक्षक शिक्षकों की मांग एवं आपूर्ति के अध्ययन के आधार पर एन सी टी ई ने 13 राज्यों के संबंध में विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए और आवेदन प्राप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के बीचमांग-आपूर्ति की स्थिति में पर्याप्त युक्तिकरण हुआ है;
- विभिन्न शिक्षक पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए विनियमों और मानकों एवं मानदंडों को संशोधित किया गया और 31 अगस्त, 2009 को उन्हें अधिसूचित किया गया। मान्यताप्राप्त करने के लिए आवेदनों को ठीक-ठीक कालानुक्रम में संसाधित किया जाता है। नए विनियमों ने क्षेत्रीय समितियों के विवेकाधिकारों में कमी के साथ इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी, समीचीन औरसमयबद्ध बनाया गया है;
- ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करते हुए ई-अभिशासन प्रणाली की शुरूआत की गई है। मान्यता की प्रक्रिया कारगर बनाने के लिए एम आई एस विकसित किया गया है;
- एन सी एफ, 2005 को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षाका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया गया है;

- शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए नियम पुस्तिका की तैयारी और शिक्षक शिक्षा पर विषयगत पत्र के प्रकाशन और प्रसार के जरिए अकादमिक सहायता प्रदान की जा रहीहै;
- दौरा दलों की पुनर्संरचना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों की आवधिक निगरानी और एन सी टी ई द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप जो संस्थाएं नहीं हैं उनकी मान्यता समाप्त करने सहित विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियां तैयार की गई हैं।

इसके उपरांत समय की मांग तथा शिक्षकों की रुचि तथा नवाचार तथा विधि प्रविधि आधारित नए प्रयोग चलते आ रहे हैं इनमे से अभी तक का सबसे प्रभावशाली तथा सम्पूर्ण भारत में एक साथ सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु NISHTHA कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम की सबसे अनोखी बात यह भी रही की यह ऑनलाइन पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान कराने में सक्षम रहा।

आइए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे मेंकुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इस शोध की मुख्य धारा है।

१.१.७ निष्ठा का अर्थ

निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोग्राम-समग्र शिक्षा-के तहत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जिसका फेस-टू-फेस मोड का श्री निशंक ने ही 21 अगस्त 2०19 को लाँच किया था। एनसीईआरटी ने राज्य स्तर पर 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निष्ठा एसआरजी ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा कर दिया है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और बिहार में ट्रेनिंग अभी चल रही है वहीं दो राज्यों में अभी इसे लांच किया जाना है। इसके अलावा 23 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गयाहै।

कोरोना की स्थिति को देखते हुए शेष 24 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, एनसीईआरटी द्वारा निष्ठा को दीक्षा और निष्ठा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारूप में बदल दिया गया है निष्ठा के फेस-टू-फेस मोड में राष्ट्रीय संसाधन समूह (नेशनल रिसोर्स ग्रुप) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने गए प्रमुख संसाधन व्यक्ति (केआरपी) एवं राज्य संसाधन व्यक्तियों को पहले स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसके बाद केआरपी और एसआरपी ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। निष्ठा के तहत विकसित किए गये

प्रारूपों के द्वारा बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रखा जायेगा और इसी कारण इसमें पाठ्यक्रम सहित स्वास्थ्य कल्याण, व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कला, स्कूली शिक्षा में पहल, विषय-विशेष शिक्षा, शिक्षण-शिक्षा में आईसीटी, नेतृत्व क्षमता, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, आदि को शामिल किया गया है। अब तक लगभग 23,000 प्रमुख संसाधन व्यक्ति (केआरपी) और 17.5 लाख शिक्षक और स्कूल निष्ठा से लाभान्वित हुए हैं और अब इसके ऑनलाइन हो जाने इसका लाभ और अधिकशिक्षकों तक पहुंचेगा।

21वीं सदी में शिक्षा का स्तर अपने पुराने युग से बहुत आगे निकल गया है, जिसके तहत नई शैलियों, तकनीकों, विधियों, रूपों, कौशल आदि का विकास हुआ है। नतीजतन, इन दिनों हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, इनके सामने तथाकथित शिक्षा व्यवस्था को सुधार की ओर ले जाना है। इसके तहत भारत सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जिसके अनुसार शिक्षकों को शिक्षण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह यह कार्यक्रम पूरे भारत में स्थापित किया गया था, इसके अंतर्गत 16 मॉड्यूल बनाए गए थे, जिसमें 2 मॉड्यूल बाद में जोड़े गए थे। जो पूर्णतः ऑनलाइन आधार पर संपन्न किए गए। इस शोध मे उन्ही दोनों मॉड्यूल के अंतर्गत प्रदान की गई ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे मे विकासखंड सोनकच्छ के प्राथमिक शिक्षकों की राय अथवा मत को समझने की कोशिश की गई है।

इस कार्यक्रम का नाम संक्षिप्त रूप में NISHTHA हैं। निष्ठा को स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल के रूप में जाना जाता है। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के पारंपरिक ढांचे को बदलने की नई पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाता हैं ने प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में एक प्रारंभिक कदम उठाया है। कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों के परिणाम में सुधार करना है।

१.१.८ निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में

निष्ठा – भारत में शिक्षक प्रशिक्षण में एक क्रांति स्वरूप है। उनके अध्ययन में पता चला कि निष्ठा कार्यक्रम शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी पहल है जिनकी मदद से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या काम किया गया है, आदि।

भारत का राष्ट्रीय पोर्टल (https://www.india.gov.in/spotlight/nishtha) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है जिसे NISHTHA कहा गया है। २०१९-२० में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित यह योजना है। इस भाग में NISHTHA "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के बीच दक्षताओं का निर्माण करना है। निष्ठा दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। यह पहल अपनी तरह की पहली है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

NISHTHA परिवर्तन के लिए ऑनलाइन एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण https://itpd.ncert.gov.in// राष्ट्रीय संसाधन समूह 120 (NRG) प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (KRPs) और राज्य संसाधन व्यक्तियों- राज्यों/संघ के नेतृत्व (SRPL) को प्रशिक्षित करेंगे प्रदेश एकएनआरजी में 15 राष्ट्रीय स्तर के संसाधन व्यक्ति शामिलहैं।

राज्य संसाधन समूह एक राज्य संसाधन समूह 33000 (एसआरजी) में एससीईआरटी, डाइट, सीटीई, आईएएसई से 05 केआरपी और 01 एसआरपीएल शामिल हैं। एसआरजी स्कूल के शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों (जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर पदाधिकारियों)को प्रशिक्षित करेंगे।

शिक्षक, प्रधानाचार्य, बीआरसी और सीआरसी 42,00,000 सभी प्राथमिक विद्यालय स्तर के शिक्षक, प्रधानाचार्य, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक (एसआरसी) एसआरजी द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा, कोरशा सामग्री प्रशिक्षण गतिविधि वेबसाइट ट्यूटोरियल संसाधन आदि

निष्ठा : स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगतिके लिए राष्ट्रीय पहल

"एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्राधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना है।

पदाधिकारियों (राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तर पर) को सीखने के प्रतिफलों, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी – केंद्रित शिक्षाशास्त्र, शिक्षा में नई पहल, बहुल शिक्षाशास्त्रों आदि के माध्यम से बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने पर एकीकृत तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा गया हैं। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय संसाधन समूह और राज्य संसाधन समूहों (एसआरजी) का गठन करके आयोजित किया गया है। इस क्षमता निर्माण की पहल के साथ एक कड़ी निगरानी और सहायक तंत्र का भी उपयोग किया गया है। इसलिए, निष्ठा को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) और NISHTHA पोर्टल्स के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य संसाधन समूह के लिए पहला ऑनलाइन प्रशिक्षण 16 जुलाई, 2020 को शुरू किया गया।

संसाधन समूह का संक्षिप्त विवरण:-

राष्ट्रीय संसाधन समूह - सदस्य संख्या 120

राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) राज्यों/ संघ राज्य–राज्य क्षेत्रों के मुख्य ज्ञानसाधन व्यक्तियों एवं राज्य संसाधन व्यक्तियों नेतृव (एसआरपीएल)को प्रशिक्षित करेंगे। एक एनआरजी में 15 ज्ञानसाधन व्यक्ति शामिल होंगे।

राज्य संसाधन समूह - सदस्य संख्या 33,000

एक राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) में एससीईआरटी, डीआईईटी, सीटीई, आईएएसई संसाधनों से 5 मुख्य ज्ञानसाधन व्यक्ति और 01 एस आरएलपी शामिल होंगे। एसआरजी संबंधित राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करेगा।

शिक्षक, प्रधानाचार्य, ब्लॉक संसाधन समूह और क्लस्टर संसाधन समूह 42,00,000

प्रारंभिक स्कूल स्तर के सभी शिक्षकों, प्राधानाचार्यों, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयकों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसी) को एसआरजी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

निष्ठा के अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित हैं-

- छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार।
- एक सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण।
- शिक्षक प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क और उत्तरदायी बनते हैं।
- शिक्षकों को कला को शिक्षाशास्त्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिससे छात्रों में रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि होती है।
- शिक्षकों को उनके समग्र विकास के लिए छात्रों के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- एक स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल वातावरण का निर्माण।
- शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी का एकीकरण।
- सीखने की क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तनाव मुक्त स्कूल आधारित मूल्यांकन का विकास करना।
- शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण को अपनाते हैं और रटकर शिक्षण से योग्यता आधारित शिक्षण की

- छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार।
- एक सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण।
- शिक्षक प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क और उत्तरदायी बनते हैं।
- शिक्षकों को कला को शिक्षाशास्त्र के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिससे छात्रों में रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि होती है।
- शिक्षकों को उनके समग्र विकास के लिए छात्रों के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- एक स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल वातावरण का निर्माण।
- शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी का एकीकरण।
- सीखने की क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तनाव मुक्त स्कूल आधारित मूल्यांकन का विकास करना।
- शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण को अपनाते हैं और रटकर शिक्षण से योग्यता आधारित शिक्षण की ओर बढ़ते हैं।
- शिक्षक और स्कूल प्रमुख स्कूली शिक्षा में नई पहल केबारे में जागरूक हो जाते हैं।
- नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के प्रमुखों को शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करने में परिवर्तन।

१.१.९ दीक्षा एप्लीकेशन

दीक्षा- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

दीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक पहल है दीक्षा की विशेषताएं यह स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। DIKSHA एक अनूठी पहल है जो शिक्षकों को केंद्र में रखते हुए मौजूदा अत्यधिक स्केलेबल और लचीली डिजिटल अवसंरचना का लाभ उठाती है। यह पाठ्यक्रम नि:शुल्क है और शिक्षकों और छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें डिजिटल पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, टीवी कक्षा

आदि शामिल हैं। शिक्षकों के पास अपने स्वयं के व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र तक पहुंच होगी, जहां वे अपनी प्रगति की योजना बना सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम, परीक्षण में प्रदर्शन आदि शामिल हैं। शिक्षकों के लिए आकलन उनकी ताकत और सुधार के क्षेत्रोंका पता लगाने के लिए।

दीक्षा एप्लीकेशन की कुछ विशेषताएं निम्न लिखित हैं:-

- DIKSHA पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था।
- यह शिक्षकों के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है जो उन्हें सीखने और खुद को प्रशिक्षित करने और शिक्षक समुदाय से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- यह पूरे शिक्षक के जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है - जब से छात्र शिक्षक शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में दाखिला लेते हैं, तब तकवे शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं।
- यह नियमित स्कूली पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों और पाठों तक पहुंच भी प्रदान करता है।
- राज्य, सरकारी निकाय और यहां तक कि निजी संगठन भी अपने लक्ष्यों, जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर दीक्षा को अपने संबंधित शिक्षक पहल में एकीकृतकर सकते हैं।

१.२ समस्याकथन

विकासखंड सोनकच्छजिला देवास में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की राय का अध्ययन

१.३ अध्ययन का तर्क

जैसा कि ज्ञात हैं कोरोना काल के चलते सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को भौतिक स्वरूप में संचालित करना सम्भव नहीं हो सकता था, इस कारण इस सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए इस कार्यक्रम को अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन शुरू किया गया। परन्तु शिक्षकों को इसे आत्मसात करने

में कई कठिनाइयों को देखते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राथमिक शिक्षकों की और उनके प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की और यह जानने की कोशिश की कि निष्ठा के ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें निष्ठा से क्या लाभ हो रहा है। इसके साथ ही इस कोविड-19 परिदृश्य में आज स्कूली शिक्षा के सामने कैसी चुनौतियाँ हैं तथा इसके लिए संभवतः प्रयास क्या हो सकते है अथवा किए जा रहे हैं।

१.४ उद्देश्य

निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बंध में विकासखण्ड सोनकच्छ के प्राथमिक शिक्षकों की राय सम्बंधी अपेक्षित उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- विकासखंड सोनकच्छ में संचालित ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम के बारे में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की राय का अध्ययन करना।
- दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदत्त ऑनलाइन प्रशिक्षण लेते हुए शिक्षकों को हुई समस्या पर शिक्षकों की राय का अध्ययन करना|

१.५ शोध प्रश्न

निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बंध में विकासखण्ड सोनकच्छ के प्राथमिक शिक्षकों की राय सम्बंधी शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

- विकासखंड सोनकच्छ में संचालित ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम के बारे में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की राय से क्या तात्पर्य है?
- दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदत्त ऑनलाइन प्रशिक्षण लेते हुए शिक्षकों को हुई समस्या पर आपकी क्या राय है ?
- आमने-सामने और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे मेआपकी क्या राय है?

१.६ कार्यात्मक परिभाषा

निष्ठाः स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नतिके लिए राष्ट्रीय पहल

दीक्षा- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

१.७ अध्ययन का परिसीमन

- इस अध्ययन में जनसंख्या जिला देवास है और नमूना सेवाकालीन प्राथमिक विद्यालय शिक्षक ब्लॉक सोनकच्छ है और नमूनाकरण तकनीक उद्देश्यपूर्ण या यादृच्छिकहोगी।
- यह अध्ययन सोनकच्छ के 20 सेवाकालीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा 20 अक्टूबर से प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण पर किया जायेगा।